

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 24/8/26

विषय:- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल
₹ 1,60,00,000/- (एक करोड़ साठ लाख रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल **₹ 1,60,00,000/- (एक करोड़ साठ लाख रुपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है:-

क्र.	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0 डी0	कार्य/योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, सुपौल	33076	Construction of 9 Class Room (G+2) Madarsa Building in the campus Madarsa Ishlahul Muslameen Parasa Tulapatti Pipra Bazar Supual.	659 / 03.03.2025	49,20,000 / - (उनचास लाख बीस हजार रुपये)
2.	भवन प्रमंडल, सुपौल	33078	Construction of 8 Class Room Madarsa (G+1) Building in the campus Madarsa Mohammadia Supual.	573 / 05.02.2025	38,40,000 / - (अड़तीस लाख चालीस हजार रुपये)
3.	भवन प्रमंडल, समस्तीपुर	33739	Construction of 4 Class Room Madarsa Building in the campus Madarsa Islamia Shahpur Baghauni Tajpur Distt Samastipur	449 / 25.11.2025	72,40,000 / - (बहत्तर लाख चालीस हजार रुपये)
कुल					₹ 1,60,00,000 / -

(एक करोड़ साठ लाख रुपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय शीर्ष मांग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-4225-अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछडे वर्गो और अल्पसंख्यको के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-04-अल्पसंख्यको के कल्याण, लघुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0104-बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना **विपत्र कोड-03-4225040510104** के विषय शीर्ष-53-मुख्य कार्य-0104.53.01 मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जायेगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, संबंधित भवन प्रमंडल, होंगे।
4. इस राशि के निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 7961 (M) पटना, दिनांक-

24/8/16

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 7961 (M) पटना, दिनांक-

24/8/16

प्रतिलिपि- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता/निदेशक अनुश्रवण/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, संबंधित भवन अंचल/कार्यपालक अभियंता, संबंधित भवन प्रमंडल/सी.एफ.एम.एस.एप्रुवर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एवं **आई0 टी0 मैनेजर**, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को **विभागीय वेबसाइट** पर अपलोड एवं सभी संबंधित को **ई-मेल** करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

Bpin